बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग।

संचिका संख्या-4/नि०ज०शि० 231-05/2009- 3035

प्रेषक,

सुरेश चौधरी,
सरकार के अवर सचिव,

सेवा में,

सरकार के सचिव,
(मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग),
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना-15, दिनांक -21/7/09

विषय :- **विकास यात्रा-2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- मुख्यमंत्री सचिवालय का संदर्भ संख्या-1302930261.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-ज०शि०को० (मु०स०)-04/2009-659 दिनांक- 06-05-2009 के प्रसंग में कहना है कि संबंधित पत्र दिनांक-04-06-2009 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में प्राप्त हुआ है ।

विषयांकित पत्र के आलोक में कृत कार्रवाई पत्र (Action Taken Letter) कंडिकवार तैयार कर अनुमोदन हेतु संलग्न किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि कृत कार्रवाई पत्र अनुमोदित कर शीघ्र वापस करने की कृपा की जाय ताकि आवेदक को सूचना उपलब्ध कराया जा सके ।

विश्वासभाजन,

21/7/09

(सुरेश चौधरी),
सरकार के अवर सचिव

VIJAY

कंडिका–4. ए0एन0सिंहा इन्सटीच्यूट में अनु0 जनजातियों पद शोध हेतु एक कोषांग का गठन योजना प्राधिकृत समिति के परामर्श के आलोक में स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रकार की शोध सस्थान पूर्णियां में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कंडिका–8 इस प्रकार का कोई प्रस्ताव तत्काल विचाराधीन नहीं है।

कंडिका–14. अनु0जनजातियों के लिए शोध हेतु कोषांग गठित होने पर सर्वेक्षण कराने परविचार किया जायगा।

कंडिका–18 वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में भवन निर्माण विभाग के मुख्य शीर्ष 2059 के तहत अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न आवासीय विद्यालय, भवन, छात्रावास भवन, एवं अन्य भवनों के नियमित मरम्मति हेतु प्रथमवार चार करोड़ रुपये का बजट प्रवाधन किया गया है। अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों में केवल अनु0 जनजाति शिक्षकों का पदस्थापन का कोई प्रावधान नही है।

कंडिका–26 अनु0जनजाति के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत आयोत्पादक योजनाओं के तहत प्रत्येक वर्ष राशि जिलों को आवंटित की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत योजनाओं की स्वीकृति जिला स्तर पर जिला पदाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाती है। तत्तकाल जिला में विशेष सेल गठित सेल गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

कंडिका–27 अनु0जाति एवं अनु0जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम –1989 तथा नियम–1995 के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति गठित है साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता मे राज्य स्तर पर एक सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति गठित है। इस अधिनियम एवं नियम के प्रचार प्रसार हेतु प्रत्येक जिला को वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में होडिंग लगाने हेतु राशि आवंटित की गई है। इसके साथ–साथ जिला पदाधिकारियों एवं आरक्षी अधीक्षकों को भी समय–समय पर इस अधिनियम एवं नियम के कार्यान्वयन हेतु निदेशित किया गया हैं

कंडिका–31 वर्तमान में अनु0जनजाति के लिए पन्द्रह आवासीय विद्यालय विभिन्न जिलों में संचालित है। साथ ही तेरह अनु0जनजाति छात्रावास संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2008–09 में अनु0 जनजाति के लिए प0 चम्पारण जिला में पॉच बालक आवासीय विद्यालय एवं पॉच बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में केन्द्र सरकार को सात जनजाति छात्रावास निर्माण का प्रस्ताव भेजा गया है।

कंडिका–32 अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति मदों में वित्तीय वर्ष 2008–09 में माह मई–जून 2008 में राशि सभी जिलों को विमुक्त कर दी गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 के माह जुलाई,09 में राशि स्वीकृत कर दी गई है।

कंडिका–33 कंडिका–32 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई ।

कंडिका–34 वर्ष 2008–09 में अनु0 जनजाति के लिए विशेष रुप से विशेष प्रतियोगिता परीक्षाओं के कोचिंग हेतु कटिहार जिला में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु राशि विमुक्त की गई है।

कंडिका–35 इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन नहीं है।

कंडिका–36 यह कंडिका मानव संसाधन विभाग से संबंधित हैं।

कंडिका–37 यह कंडिका कला संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित है।

कंडिका–39 अनु0जनजाति के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से संचालित है जिसके तहत उच्च शिक्षा यथा एम0फिल,पी एच डी मैनेजमेंट, इंजिनियरिंग, मेडिकल,सी0ए0 आदि कोर्स सम्मिलित है, में सम्पूर्ण अनिवार्य शुल्क तथा अनूरक्षण भत्ता देने का प्रावाधान है। इस योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में जिलों को राशि आवंटित की गई है। साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009–10 में इस मद में राशि की स्वीकृति दी गई है।